(1) प्रस्तावना- Introduction

भारत का उच्च न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया हैभारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्याय अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में निर्मित एवं उच्च न्यायालय की

संरचना और अधिकार की न्यू है उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च पीली अदालत है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनाता है इसके अलावा राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से अबतक 24 हजार से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं।

(2) अर्थ = Meaning

न्यायालय अदालत या कोर्ट का तात्पर्य सामान्यता उस स्थान में है जहां पर न्याय प्रशासन कार्य होता है परंतु बहुदा इसका प्रयोग न्यायधीश के अर्थ में भी होता है बोलचाल की भाषा में अदालत को कचहरी भी कहते हैं भारतीय न्यायालयों की वर्तमान प्रणाली किसी विशेष प्राचीन परंपरा से संबंध नहीं है मुगल काल में दो प्रमुख न्यायालयों का उल्लेख मिलता है।

सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजाम अदालत जहां क्रम सा व्यवहारवाद तथा अपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी सन अट्ठारह सौ सत्तावन ईसवी के असफलता के बाद स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजी न्याय प्रशासन प्रणाली के आधार पर विभिन्न न्यायालयों की दृष्टि इंग्लैंड में स्थित पृवी काउंसिल भारत की सर्वोच्च न्यायालय थी सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और तत्पश्चात भारतीय संविधान के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना हुई उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना

(3) परिभाषा- Definition

1 - "डॉ. थामश के अनुसार "- उच्चतम संघीय अदालत जिनके पास अंतिम अपीलीय अधिकार क्षेत्र और व्यापम पर्यवेक्षण चली अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है।

2 - "डॉ . वेल्सन के अनुसार "- मामलों के लिए यूनाइटेड किंगडम में अपीलीय की अपील की अंतिम अदालत जो इंग्लैंड वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से अपराधिक मामलों में अपील भी सुनाती है हाउस ऑफ लार्ड्स के न्यायिक कार्यों को संभालने के लिए 2009 में स्थापित किया गया।

(4) सर्वोच्च न्यायालय की संरचना

(1) न्यायालय का गठन -

28 जनवरी 1950 भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन के नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रिंसेस भवन में किया गया था। 28 जनवरी 1950 इसके उद्घाटन के बाद उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में अपनी बैठकों की शुरुआत की उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण पारीक है जबकि केसी कौशिक मौजूदा मानद सचिव हैं ।

(2) उच्चतम न्यायालय परिसर -

उच्चतम न्यायालय भवन के मुख्य ब्लॉक को भारत की राजधानी दिल्ली में तिलक रोड स्थित 22 एकड़ जमीन के एक वर्गाकार खंड पर बनाया गया है निर्माण का डिजाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश जी काजी देवलिला कर द्वारा इंडो ब्रिटिश स्थापित शैली में बनाया गया था न्यायालय 1958 में वर्तमान इमारत में स्थानांतरित किया गया भवन को न्याय के तराजू की छवि देने की वस्तु कारों की कोशिश के अंतर्गत भवन के केंद्रीय ब्लॉक को इस तरह बनाया गया है कि वह तराजू के केंद्रीय बीम की तरह लगे 1979 में दो नए इससे पूर्व विंग और पश्चिम विंग को 1958 में बनी परिसर में जोड़ा गया। कुल मिलाकर इस परिसर में 15 अदालती कमरे हैं मुख्य न्यायाधीश की अदालत चौकी केंद्रीय विग के केंद्र में स्थित सबसे बड़ा अदालती कार्यवाही का कमरा है इसमें एक ऊंची छत के साथ एक बड़ा गुबंद भी हैं ।

(3) अदालत का आकार

भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों को अधिनियम किया गया था और इस संख्या को बढ़ाने का जिम्मा सांसद पर छोड़ा गया था प्रारंभिक क्रिया वर्षों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूरी पीठ एक साथ बैठा करती थी जैसे-जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ने लगे भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 1956 में 11 1960 में 14 1978 में 18 1986 में 26 और 2008 में 31 तक कर दिया गया वर्तमान में दो या तीन की छोटी न्याय पीठ जिन्हें खंडपीठ कहा जाता है के रूप में सुनवाई करते हैं संवैधानिक मामले और जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी होगी सुनवाई 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ जिसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है द्वारा की जाती है कोई भी किसी भी विचाराधीन मामले को आवश्यकता पड़ने पर संख्या में बड़ी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज सकती है।

(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

संविधान में 30 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी।

(5) न्यायाधीशों की योग्यताएं

(1) व्यक्ति भारत का नागरिक हो ।

(2) कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।

(3) किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

(4) वह व्यक्ति राष्ट्रपति किराए में एक प्रतिष्ठित विद्धत्ता होना चाहिए।

(5) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक तादरभ को उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(6) कार्यकाल

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष वर्ष होती है न्यायाधीशों को केवल महाभियोग दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

(7) पदत्याग

उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की राष्ट्रपति तब पद त्याग करेगा जब संसद के दोनों सदनों के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जोकि सिद्ध कांटाचार या अक्षमता के आधार पर लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो यह आदेश उसी संसद सत्र में लाया जाएगा जिस सत्र में यह प्रस्ताव संसद में पारित किया अनुच्छेद 124 (5) में वह प्रक्रिया वर्णित है जिससे जज पदत्याग होते हैं इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायाधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत

(1) संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में 100 राज्यसभा में 50 सदस्य का समर्थन अनिवार्य है।

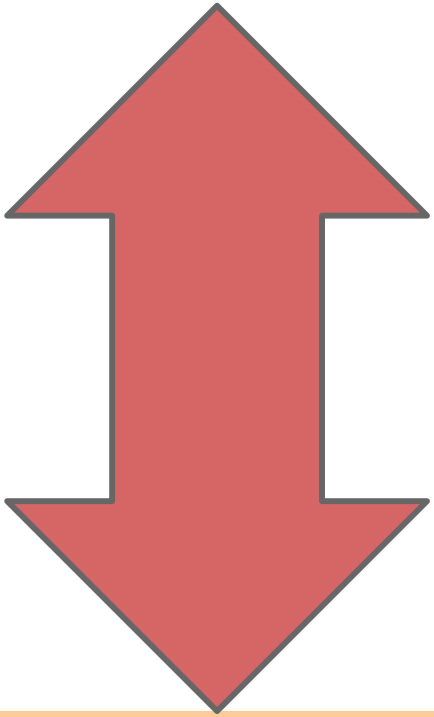

(2) प्रस्ताव मिलने पर सदन का सभापति 3 सदस्य समिति बनाएगा जो आरोपों की जांच करेगी समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इसकी जांच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी।

यदि इसमें जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नहीं होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दिए तो सदन प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता है।

(8) न्यायालय की जनसांख्यिकी

उच्च न्यायालय ने हमेशा एक विस्तृत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बनाया रखा है इसमें धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित न्यायालयों का एक अच्छा सा है उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायधीश सन 1987 में नियुक्त हुई थी उनके बाद इसी क्रम में न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर न्यायमूर्ति रूपाल और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा का नाम आता है न्यायमूर्ति रंजना देसाई जो सबसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय की महिला जज नियुक्त हुई है को मिलाकर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में दो महिला न्यायधीश है उच्चतम न्यायालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो महिलाएं एक साथ न्यायधीश न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन दलित समुदाय से पहले न्यायाधीश बने बाद में सन 2007 में वे ही उच्चतम न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी बने।2010ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं

(9) सर्वोच्च न्यायालय की खंडपिड

अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होगा परंतु यहा भारत में और कहीं भी मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा क्षेत्रीय खंडपीठ का प्रश्न विधि आयोग अपनी रिपोर्ट के माध्यम से क्षेत्रीय का खंडपीठ गठन करें ताकि देश के विभिन्न भागों में निवास करने वाले वादियों के धन तथा समय दोनों की बचत हो सके किंतु न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करने के बाद निर्णय दिया है कि पीठा के गठन के से एक यह भी क्षेत्र के राजनैतिक दबाव में आ जाएगी इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एकात्मक चरित्र तथा संगठन को हानि पहुंच सकती है।

(5) सर्वोच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियां

उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत होने के कारण इसकी शक्तियां विस्तृत एवं व्यापक है इसके निर्णय देश के समस्त न्यायालयों को मानय होते हैं श्री कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी भी उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं इस की शक्तियां एवं कर्तव्यों को निम्नलिखित शिक्षकों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार= अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय के रूप में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) राज्यों से संबंधित विवाद=

(1) भारत सरकार केंद्र सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद।
(2) एक पक्ष केंद्र सरकार और एक या कुछ राज्यों का हो तथा दूसरा पक्ष एक या अनेक राज्यों का हो।
(3) दो या दो से अधिक राज्यों के वैध अधिकार के प्रश्न।

(ख) मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद=

संविधान के अनुच्छेद 32 एक के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की गई है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पांच प्रकार के लेख राइट्स जारी किए जा सकते हैं।

(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख=

इसका शाब्दिक अर्थ है हमें शरीर चाहिए यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे सामान्यतः 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है यदि पुलिस ऐसा नहीं करती अथवा कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है तो न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है।

(2) परमादेश लेख=
इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं इसके अंतर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को काम करने का आदेश देती है।

(3) प्रतिषेध लेख= यह परमादेश लेख का विलोम है परमादेश में काम करने का आदेश दिया जाता है जबकि प्रतिषेध लेख जारी कर काम करने के लिए मना किया जाता है।

(4) उत्प्रेषण लेख =
इसका शब्दार्थ है पूर्णता सूचित कीजिए यदि अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है और उच्च स्तर का न्यायालय यह समझता है कि प्रकरण महत्वपूर्ण है एवं उसे स्वयं उस प्रकरण पर सुनवाई करना चाहिए।

(5) अधिकार पृच्छा लेख=

इसका अर्थ है कि अधिकार में इसके अंतर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति की एक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए एक निषेध आता है अधिकार पृच्छा लेख कहते हैं।

(1) नाम - एच जे कनिया - अवधि 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951+ कूल अवधि दिनों में 649- अदालत - मुंबई उच्च न्यायालय- नियुक्ति- डॉ राजेंद्र प्रसाद ।

(2)नाम -एमपी शास्त्री - अवधि 7 नवंबर 1951से 3 जनवरी 1954 कूल अवधि दिनों में 788 अदालत -मद्रास उच्च न्यायालय- नियुक्ति- डॉ राजेंद्र प्रसाद।

(3)नाम -मेहर चंद महाजन -अवधि 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 कुल अवधि दिनों में 352 -अदालत- पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय - नियुक्ति -डॉ राजेंद्र प्रसाद।

(4) नाम

(7) निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट किया जाता है कि न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की श्रेष्ठता की कोई अन्य कटौती नहीं है क्योंकि अन्य किसी चीज से नागरिक की सुरक्षा पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित शीघ्र और निष्पक्ष न्याय प्रशासन पर निर्भर रह सकता है।

संविधान द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका का संगठन पृथक पृथक ना होकर संपूर्ण देश की एकीकृत एवं संगठित न्याय व्यवस्था है भारत के समस्त न्यायालय उच्चतम से लेकर निमनत न्यायालय तक एक ही पद्धति में संगठित है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायालय है तथा हाईकोर्ट उच्चतम न्यायालय के अधीन अन्य अधिनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेटर है इस

इस प्रकार भारत के समस्त न्यायालय एक कड़ी के रूप में बंधे हुए हैं।

(8) संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) डॉ. फरेडरेशन - भारतीय न्यायिक व्यवस्था

(2) डॉ. श्री एस एस - भारतीय न्यायिक संविधान